छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 86/2006

श्री रमाशंकर गुप्ता, ... अपीलार्थी
गांधी चौक, मनेन्द्रगढ़,
जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
एवं अनुविभागीय अधिकारी
मनेन्द्रगढ़,
जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(दिनांक 05 अक्टूबर 2006)

अपीलार्थी श्री रमाशंकर गुप्ता ने आयोग के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 86/06 में सूचना आयोग के द्वारा आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी के द्वारा वांछित अभिलेख उसे ढूंढकर 10 दिन के अंदर निःशुल्क प्रदान किया जावे, प्रतिअपीलार्थी के द्वारा उक्त अभिलेख आयोग के आदेश के पश्चात् भी प्रदान नहीं किये गये।

2/ प्रतिअपीलार्थी अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ को नोटिस जारी किया गया। दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यही है कि प्रतिअपीलार्थी ने आयोग के आदेश का पालन नहीं किया, अतः उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि आयोग के आदेशानुसार अपीलार्थी को दिनांक 13.07.2006 को वांछित जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। मनेन्द्रगढ़ स्थित खसरा नं. 303/8 के संबंध में अपीलार्थी को बी–1 वर्ष 1981–82 के खाता क्रमांक 267 एवं 500 की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई जिसके अनुसार उक्त भूमि बिफहिया पुत्री नानअगरिया के नाम पर अंतरित हुई। खसरा नं. 303/9 एवं 303/10 के संबंध में भी अपीलार्थी को नामांतरण क्रमांक 256 की प्रति दी गई है। उक्त भूमि सुंदर सिंह आत्मज मंगल से दिनांक 13.07.1979 को भूमि खरीदने के कारण सबेरियस लकड़ा के नाम नामांतरण हुआ। अपीलार्थी को बी–1 की प्रति भी दी गई। खसरा क्रमांक 303/10 के संबंध में भी बी–1 की फोटोप्रति तथा खसरा की फोटोप्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई। प्रतिअपीलार्थी को आयोग के निर्देशानुसार पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार से प्रतिअपीलार्थी के द्वारा आदेश का पालन नहीं किया है। प्रकरण से स्पष्ट है कि अभिलेखागार में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अपीलार्थी को जानकारी दी गई। अपीलार्थी का यह

कथन है कि उसे जानकारी जो दी गई है वह सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी को उपलब्ध जानकारी ही प्रदान की जा सकती है। अपीलार्थी ने जानकारी किस प्रकार से गलत है, इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि खसरा नं. 303/10 के संबंध में स्वयं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पृथक से जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने जो वांछित जानकारी चाही थी वह उसे उपलब्ध करा दी गई है। प्रकरण में यदि कोई जांच की जा रही है तो जांच के पश्चात जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसे अपीलार्थी नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।

3/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पर्याप्त जानकारी प्रदान कर दी गई है। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानबूझकर आयोग के आदेश का पालन नहीं किये जाने का आरोप सिद्ध नहीं होता है। अतः अपीलार्थी का यह आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त